अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन

राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की द्वितीय बैठक का कार्यवृत

रविवार, १९ अप्रैल २०२६, केंद्रीय कार्यालय, डकबैक हाउस, कोलकाता

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की सत्र २०२५-२७ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की द्वितीय बैठक दिनांकः १९ अप्रैल २०२६, रविवार को केंद्रीय कार्यालय सभागार, डकबैक हाउस, कोलकाता में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन कुमार गोयनका के सभापतित्व में आयोजित की गई।

बैठक में निम्नलिखित राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों एवं समाजजनों की उपस्थिति रहींः-

श्री पवन कुमार गोयनका	श्री संतोष सराफ	श्री गिरधारी लाल गोयनका	श्री केदारनाथ गुप्ता
श्री पवन कुमार जालान	श्री पवन कुमार बसंल	श्री अनिल मलावत	श्री बसंत सुराणा
श्री कैलाशपति तोदी	श्री संजय हरलालका	श्री संजय गोयनका	श्री आत्माराम सोंथलिया
श्री कैलाश चंद काबरा	श्री शरद सरावगी	श्री कृष्णा अग्रवाल	श्री अरुण प्रकाश मल्लावत
श्री राजेश सोंथलिया	श्री संदीप गर्ग	श्री नारायण जैन	सीए श्री विष्णु तुलस्यान
श्री प्रदीप जीवराजका	श्री बाबूलाल बंका	श्री संतोष अग्रवाल	श्री सुशील कुमार चौधरी
डॉ. विजय केजरीवाल	श्री नीतीन अग्रवाल	श्री नंदलाल सिंघानिया	श्रीमती सुषमा अग्रवाल

निम्नलिखित सदस्यों ने अनुपस्थिति की सुचना दीः-

श्री नन्द लाल रुँगटा	श्री गोवर्धन प्र. गाड़ोदिया	श्री शिव कुमार लोहिया	श्री बिनोद तोदी
श्री राजकुमार मिश्रा	श्री पुरुषोत्तम सिंघानिया	श्री गोकुलचंद बजाज	डॉ. सुभाष अग्रवाल
श्री रतन शाह	श्री मधुसूदन सिकरिया	श्री रंजीत जालान	श्री रमेश चांडक
श्री गिरधर गोपाल अग्रवाल	श्री जुगल किशोर अग्रवाल	श्री ओम प्रकाश अग्रवाल	श्री सुदेश करवा
श्री बिनोद कुमार लोहिया	श्री सजन कुमार अग्रवाल	श्री राजेश सिंघल	श्री बसंत पोद्दार
श्री रमेश पेरिवाल	श्री विनोद जैन	श्री पंकज भालोटिया	श्री विश्वनाथ भुवालका
श्री प्रकाश चंद्र हरलालका	श्री दामोदर बिदावतका	श्री अरुण गाड़ोदिया	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की 'राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति' के नए सत्र (२०२५-२७) की द्वितीय बैठक की शुरुआत केंद्रीय कार्यालय सभागार, डकबैक हाउस, कोलकाता में दिनांकः १९ अप्रैल २०२६ को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन कुमार गोयनका जी के सभापतित्व में शुरु हुई।

बैठक का शुभारंभ राष्ट्रीय महामंत्री श्री केदारनाथ गुप्ता के आग्रह पर सकारात्मक वातावरण में तीन बार ॐ के उच्चारण के साथ किया गया। इसके उपरांत श्री केदारनाथ गुप्ता ने सभा में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों से अपना परिचय प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

कार्यसुची १: अध्यक्षीय उद्‌गार।

बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन कुमार गोयनका के सभापतित्व में प्रारंभ हुई। अपने स्वागत उद्‌बोधन में उन्होंने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों, पूर्व एवं निवर्तमान राष्ट्रीय महामंत्रियों, राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रांतीय प्रतिनिधियों एवं कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।

अपने संबोधन में श्री पवन कुमार गोयनका ने कहा कि हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित शिक्षा, सेवा, संस्कृति एवं संगठन की मजबूत नींव ही हमारी प्रगति का आधार है। उन्होंने इस विरासत को और अधिक सशक्त एवं व्यापक बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि संगठन की वास्तविक शक्ति उसकी सदस्यता एवं सक्रिय सहभागिता में निहित होती है। उन्होंने सदस्यता विस्तार में हुई उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए झारखंड एवं पूर्वोत्तर प्रांतीय इकाइयों की सराहना की।

दिल्ली में आयोजित 'बिजनेस मीट' की सफलता का उल्लेख करते हुए श्री पवन कुमार गोयनका ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजकुमार मिश्रा एवं उनकी टीम तथा दिल्ली प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने सेमिनार उपसमिति के चेयरमैन डॉ. संजय हरलालका एवं उनकी टीम तथा स्वास्थ्य उपसमिति के चेयरमैन श्री बृजमोहन गाड़ोदिया, संयोजक एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री अनिल मलावत एवं उनकी टीम को उनके सराहनीय कार्यों हेतु धन्यवाद दिया। श्री गोयनका ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में किए गए प्रयासों

का उल्लेख करते हुए श्री पवन कुमार गोयनका ने मैक्स हॉस्पिटल एवं लीलावती हॉस्पिटल के साथ हुए एमओयू की जानकारी दी तथा फोर्टिस हॉस्पिटल, चार्नक हॉस्पिटल एवं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल समूह (दिल्ली) के साथ वार्ता अंतिम चरण में होने की बात कही। उन्होंने राजनीतिक चेतना उपसमिति के चेयरमैन डॉ. सावर धनानिया एवं संयोजक श्री अरुण प्रकाश मल्लावत की टीम द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने समाज में राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने पर बल दिया।

कार्यसुची २: गत बैठक का कार्यवृत पारित करना।

कार्यसूची के अनुसार राष्ट्रीय महामंत्री श्री केदारनाथ गुप्ता ने रांची (१७ जनवरी २०२६) में आयोजित पिछली बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया। आवश्यक संशोधनों के पश्चात इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

कार्यसुची ३: राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा विगत कार्यकलापों की जानकारी।

राष्टीय महामंत्री श्री केदार नाथ गुप्ता ने पिछली बैठक के बाद के सम्मेलन की गतिविधियों पर अपनी विस्तृत रपट प्रस्तुत की। जिसमें उन्होंने सम्मेलन की गतिविधियों को विस्तार से सभी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया। सभी सदस्यों ने इस सत्र में हुए कार्यो की सराहना की एवं राष्ट्रीय पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया।

पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्री संजय हरलालका ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में पश्चिम बंग प्रांत एवं झारखंड प्रांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई थी, किंतु उन विषयों का उल्लेख गत बैठक की कार्यवृत्त में नहीं किया गया है। उन्होंने आग्रह किया कि उन विषयों को कार्यवृत्त में समुचित रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय महामंत्री श्री केदारनाथ गुप्ता ने आश्वस्त किया कि उक्त विषयों की समीक्षा कर उन्हें कार्यवृत्त में सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

कार्यसुची ४ एवं ५: संगठन –विस्तार तथा प्रांतों की सक्रियता पर प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षों एवं प्रांतीय अध्यक्षों की संक्षिप्त रपट एवं राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर किए जा रहे कार्यो पर विस्तृत चर्चा एवं दिशा निर्देश ।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री गिरधारी लाल गोयनका ने झारखंड प्रांत के सराहनीय कार्यों की जानकारी देते हुए सदस्यता अभियान में उनकी अग्रणी भूमिका की प्रशंसा की तथा संगठन एवं सदस्यता विस्तार के लिए प्रांतो को सम्मानित करने का सुझाव दिया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन कुमार गोयनका ने घोषणा करते हुए कहा कि आगे केंद्र द्वारा सबसे अधिक सदस्य बनाने वाले प्रांत, सम्मेलन के कार्यों एवं प्रगति में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले प्रांत, सर्वोच्च शाखा, सबसे अधिक नई शाखा खोलने वाले प्रांत को आगामी अधिवेशन में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा।

निवर्तमान राष्ट्रीय महामंत्री श्री कैलाशपति तोदी ने झारखंड प्रांत की साकची शाखा की समस्याओं के संबंध में केंद्र को पत्र लिखकर अवगत कराने की बात कही। उन्होंने शाखाओं के संचालन में आ रही विभिन्न समस्याओं के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर बल देते हुए संगठनात्मक समन्वय को मजबूत करने का आग्रह किया।

झारखंड के साकची से पधारे श्री संतोष कुमार अग्रवाल ने साकची शाखा की समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित पक्षों की एक संयुक्त बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया, जिससे आपसी संवाद के माध्यम से समस्याओं का निराकरण किया जा सके।

झारखंड प्रांत के प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री गिरधारी लाल गोयनका ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड प्रांत एवं साकची शाखा के पदाधिकारीगण शीघ्र ही एक संयुक्त बैठक आहूत कर उसकी सूचना प्रदान करें, ताकि वे स्वयं उस बैठक में उपस्थित होकर झारखंड प्रांत से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं विषयों पर विचार-विमर्श कर सकें तथा उनका त्वरित, सौहार्दपूर्ण एवं सकारात्मक समाधान सुनिश्चित किया जा सके। श्री गोयनका ने आगे सिक्किम प्रांत एवं सिक्किम मारवाड़ी समाज द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी सभा के समक्ष प्रस्तुत की। पश्चिम बंग प्रांत के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि इस विषय को बैठक के एजेंडे में सम्मिलित किया गया है। जिस पर आगे चर्चा होनी है।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजकुमार मिश्रा की अनुपस्थिति में उनके प्रभार वाले प्रांतों की रिपोर्ट राष्ट्रीय महामंत्री श्री केदारनाथ गुप्ता द्वारा प्रस्तुत की गई।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बिनोद तोदी की अनुपस्थिति के संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय महामंत्री श्री केदारनाथ गुप्ता ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया से संबंधित बैठक में व्यस्त हैं। उन्होंने बिहार एवं गुजरात प्रांतों की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी भी सभा को प्रदान की।

पूर्वोत्तर प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष श्री कैलाश काबरा ने अपने प्रांत की विभिन्न गतिविधियों, शाखा विस्तार एवं छात्रावास निर्माण कार्यों की प्रगति से सभा को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर प्रांत में साधारण सदस्यता की व्यवस्था नहीं है। श्री काबरा ने एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक प्रश्न उठाते हुए कहा कि यदि कोई सदस्य अथवा पदाधिकारी निर्वाचित होने के बाद अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है, तो क्या संविधान के अंतर्गत उसे पद से हटाने का कोई प्रावधान उपलब्ध है।

इस विषय पर पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्री संजय हरलालका ने स्पष्ट किया कि वर्तमान संविधान में ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस विषय को प्रांतीय कार्यकारिणी समिति के एजेंडे में शामिल कर आवश्यक निर्णय लिया जा सकता है।

श्री कैलाश काबरा ने बताया कि वर्तमान में पूर्वोत्तर प्रांत में ११३ शाखाएँ कार्यरत हैं तथा भविष्य में इसे बढ़ाकर १२० शाखाएँ एवं सदस्य संख्या को ६,००० तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने पूर्वोत्तर प्रांत में संचालित संस्कार-शालाओं को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया की जानकारी दी तथा केंद्र द्वारा संचालित रोजगार सहायता योजना की भी सराहना की। साथ ही सम्मेलन की मासिक पत्रिका 'समाज विकास' में पूर्वोत्तर प्रांत की गतिविधियों एवं समाचारों को प्रमुखता से प्रकाशित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। उन्होंने छात्रावास निर्माण कार्यों में हो रही प्रगति की भी जानकारी दी।

मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष श्री शरद सरावगी ने उन्हें प्रांत का दायित्व सौंपने के लिए संगठन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अनेक सामाजिक संस्थाएँ सक्रिय होने के बावजूद संगठन ने निरंतर प्रयास करते हुए तीन नई शाखाओं का गठन किया है तथा सदस्यता विस्तार अभियान को गति प्रदान की जा रही है। उन्होंने प्रांत में आयोजित विभिन्न सामाजिक एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी भी सभा के समक्ष प्रस्तुत की। श्री शरद सरावगी ने प्रांत के पुराने दस्तावेज एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं होने की समस्या से सभा को अवगत कराया।

इस विषय पर पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्री संजय हरलालका ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं राष्ट्रीय महामंत्री श्री केदारनाथ गुप्ता के साथ मिलकर इस समस्या के समाधान हेतु आवश्यक प्रयास करेंगे, ताकि प्रांत के पुराने अभिलेखों एवं दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप से प्राप्त किया जा सके।

झारखंड के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री कृष्णा अग्रवाल ने झारखंड प्रांत की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रांत द्वारा 'सम्मान कोष' का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से असहाय एवं वृद्धजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जमशेदपुर में लगभग ३० वर्षों के अंतराल के बाद मई माह में तीन दिवसीय 'राजस्थानी महोत्सव' का सफल आयोजन किया जाएगा।

पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्री संजय हरलालका ने संस्कार-शाला की अवधारणा को पूरे देश में लागू किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि संस्कार-शाला के प्रांतीय संयोजकों का सीधे केंद्र से जुड़ाव होने के कारण कई व्यावहारिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

इस विषय पर राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री बसंत सुराणा ने संस्कार-शाला के कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि शीघ्र ही इसका विस्तृत प्रारूप सभी प्रांतों को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्कार-शाला के प्रांतीय संयोजकों की नियुक्ति केंद्र द्वारा नहीं, बल्कि संबंधित प्रांतीय अथवा प्रादेशिक सम्मेलनों द्वारा की जा रही है।

<u>कार्यसुची ६: पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के लंबित चुनाव एवं वर्तमान प्रांतीय समिति के भंग करने पर परिचर्चा एवं निर्णय।</u>

राष्ट्रीय महामंत्री श्री केदारनाथ गुप्ता ने पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की वर्तमान स्थिति एवं प्रांत से हुई पत्राचारों की जानकारीयाँ कार्यकारिणी समिति के उपस्थित सदस्यों के समक्ष रखी। कोर्ट में चल रहे एक केस की जानकारी से भी सभा को अवगत कराया।

पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्री संजय हरलालका ने कहा कि पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के चुनाव हेतु स्वयं नामांकन पत्र लेने जाने की बात कही। लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं हुई।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन कुमार गोयनका ने पश्चिम बंग प्रांत की जानकारी देते हुए कहा कि पश्चिम बंग प्रांत के चुनाव की समयसीमा समाप्ति के बाद भी प्रांत के चुनाव नहीं करवाए गए एवं केंद्र के अनुरोध के

बावजूद संविधानानुसार प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा इस्तीफा नहीं दिया गया। यह संगठनात्मक अनुशासन एवं संवैधानिक प्रक्रिया की अवहेलना है। श्री नंदकिशोर अग्रवाल के दो कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात भी प्रांतीय अध्यक्ष पद पर बने रहने का प्रयास असंवैधानिक है। इससे सम्मेलन की प्रतिष्ठा को क्षति एवं सदस्यों में असंतोष उत्पन्न हुआ है। न्यायालय में लंबित एक मामले में प्रतिपक्ष द्वारा प्रांतीय चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करने की अर्जी का विरोध न कर, श्री अग्रवाल द्वारा नियुक्त अधिवक्ता द्वारा सहमति दी गई, जिससे प्रांतीय अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया निरस्त एवं स्थगित हुई। यह संगठन, समाजहित एवं संविधान के विपरीत है। श्री अग्रवाल के व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर प्रांत (**PBPMS**) को अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन से पृथक करने का प्रयास सम्मेलन के संविधान एवं संगठन की मूल भावना के विरुद्ध कार्य है। इस पर हमें उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है। हमें एक हाई पावर समिति के गठन की जरुरत है।

पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्री संजय हरलालका ने कहा कि सम्मेलन के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष को पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की वर्तमान प्रांतीय कार्यकारिणी को भंग करने का अधिकार है। वे इस विषय पर निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है। अगर प्रांतीय अध्यक्ष नहीं माने तो आप उन्हें सम्मेलन से निष्कासित कर सकते है। आगे श्री हरलालका ने कहा कि सम्मेलन के संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार किसी को नहीं है। हमें आगे श्री नंदकिशोर अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर कराने का सुझाव दिया। श्री हरलालका ने अतित में पश्चिम बंग प्रांत के प्रांतीय महामंत्री श्री नीतिन अग्रवाल को गलत तरीके से पद से हटाने की बात भी सभा को बताई।

पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष सराफ ने पश्चिम बंग प्रांत से संबंधित वर्तमान परिस्थितियों एवं संगठनात्मक समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इन विषयों के स्थायी एवं सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इस समिति में संगठन के अनुभवी एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों, विशेष रूप से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री को सम्मिलित किया जाए, ताकि उनके अनुभव एवं मार्गदर्शन से विषय का निष्पक्ष एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि संवाद, समन्वय एवं संगठनात्मक मर्यादाओं के अनुरूप सभी पक्षों से चर्चा कर समाधान निकालना संगठन के हित में होगा।

इस विषय पर अपने विचार रखते हुए श्री नारायण जैन, वित्तीय उपसमिति के अध्यक्ष श्री आत्माराम सोंथलिया, श्री संतोष अग्रवाल एवं श्री कृष्णा अग्रवाल ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंग प्रांत की वर्तमान कार्यकारिणी को भंग कर संगठनात्मक पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे प्रांत में व्याप्त असमंजस एवं विवाद की स्थिति का समाधान कर संगठन को पुनः सशक्त एवं सक्रिय बनाया जा सके।

उपलब्ध अभिलेखों, परिस्थितियों तथा संगठन के व्यापक हित पर विचार करने के उपरांत राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सभी उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की वर्तमान कार्यकारिणी को भंग किया जाना आवश्यक है तथा वहां की चुनाव प्रक्रिया को संविधानानुसार पुनः व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

अतः राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के उक्त सर्वसम्मत निर्णय एवं अनुशंसा के आधार पर तथा संविधान की धारा ८(५) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन कुमार गोयनका द्वारा पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की वर्तमान कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया एवं इसके साथ ही पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के समस्त प्रशासनिक, संगठनात्मक एवं चुनाव संबंधी अधिकार आगामी आदेश तक अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन में निहित करने का निर्णय लिया।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सर्वसम्मत निर्णय के अनुसार, पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन से संबंधित लंबित विषयों के समाधान, संगठनात्मक व्यवस्था के संचालन तथा संविधानसम्मत, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सम्पन्न कराने हेतु एक उच्च स्तरीय तदर्थ समिति गठित किए जाने का भी निर्णय लिया गया। उक्त समिति का गठन राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा तथा समिति संविधान, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्देशों एवं संगठन के नियमों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही कर यथाशीघ्र नई निर्वाचित कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया पूर्ण करेगी। यह प्रस्ताव/संकल्प राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित एवं अनुमोदित किया गया।

<u>कार्यसुची ७: पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों का मार्गदर्शन।</u>

पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष सराफ ने कहा कि संगठन को विभिन्न सामाजिक एवं संगठनात्मक विषयों पर गंभीर विचार-विमर्श कर समयबद्ध निर्णय एवं कार्यान्वयन के प्रति सजग रहना होगा। उन्होंने राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति के साथ नियमित ऑनलाइन (जूम) बैठकों के आयोजन पर बल दिया। उन्होंने समाज सुधार, संस्कार एवं संस्कृति से जुड़े विषयों पर प्रभावी कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता

बताते हुए प्री-वेडिंग शूट, शराबबंदी एवं सड़कों पर नृत्य जैसी सामाजिक कुरीतियों पर विशेष अभियान चलाने का सुझाव दिया। साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यों का विस्तार करने तथा सम्मेलन के प्रस्तावों को प्रांतीय समाचार पत्रों के माध्यम से समाज तक पहुँचाने पर जोर दिया। उन्होंने साधु-संतों के माध्यम से भी सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का सुझाव दिया।

श्री सराफ ने निर्माणाधीन सीताराम रुँगटा मारवाड़ी सम्मेलन भवन की प्रगति की जानकारी देते हुए पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नन्दलाल रुँगटा द्वारा भवन निर्माण में दिए जा रहे एकल सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया, जिस पर सभा ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिनंदन किया। उन्होंने शिक्षा उपसमिति के कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि उच्च शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत परिवार की वार्षिक आय सीमा को ₹५ लाख से बढ़ाकर ₹८ लाख किया गया है। साथ ही, जीनस इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक श्री ईश्वरचंद अग्रवाल द्वारा सीएसआर के अंतर्गत स्वीकृत ₹१ करोड़ की सहायता राशि में से अब तक ₹३० लाख प्राप्त होने की जानकारी दी, जिसके लिए सभा में उपस्थित सदस्यों ने उनका अभिनंदन किया।

कार्यसुची ८: विविध – अध्यक्ष की अनुमति से।

सम्मेलन की वित्तीय उपसमिति के चेयरमैन श्री आत्माराम सोंथलिया ने सम्मेलन की वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सदस्यों से प्राप्त सदस्यता राशि को सावधि जमा (एफडी) के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सम्मेलन की मासिक पत्रिका में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के अतिरिक्त आय का कोई प्रमुख स्रोत नहीं है। अतः सभी सदस्यों से विज्ञापन प्राप्त करने एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया गया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन कुमार गोयनका ने भी उपस्थित सदस्यों से सम्मेलन की पत्रिका एवं अन्य गतिविधियों हेतु अधिकाधिक विज्ञापन सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया।

श्री नारायण जैन ने अपने द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन कुमार गोयनका को भेंट कर उनका सम्मान किया।

निवर्तमान राष्ट्रीय महामंत्री श्री कैलाशपति तोदी ने जनगणना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से विचार-विमर्श करने का सुझाव दिया। उन्होंने संगठन मंत्री से प्रांतों एवं केंद्र के बीच समन्वय स्थापित कर किसी बड़े सामाजिक अभियान पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने महिला सम्मेलन एवं युवा मंच के साथ मिलकर किसी विशेष सामाजिक विषय पर संयुक्त रूप से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया।

पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्री संजय हरलालका ने कहा कि सम्मेलन देश की उन चुनिंदा संस्थाओं में से एक है, जो निरंतर सामाजिक विषयों एवं जनहित के मुद्दों पर कार्य करती रही है।

राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री बसंत सुराणा ने सभा को अवगत कराया कि जैन समाज की ओर से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत सर्वसमाज की सहभागिता के साथ २-३ मई को लाडनूं में 'मंथन' नामक कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें सम्मेलन की सहभागिता प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय महामंत्री श्री केदारनाथ गुप्ता ने बताया कि स्वास्थ्य उपसमिति के चेयरमैन श्री बृजमोहन अग्रवाल के स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय न रह पाने के कारण उनके स्थान पर डॉ. विजय केजरीवाल को स्वास्थ्य उपसमिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने डॉ. केजरीवाल का स्वागत एवं अभिनंदन किया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन कुमार गोयनका ने सम्मेलन के सभी सदस्यों को एक समान पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से सदस्य पहचान-पत्र (आईडी कार्ड) जारी करने की योजना की जानकारी दी। इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई तथा उपस्थित सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किए। श्री गोयनका ने बताया कि इस कार्ड के माध्यम से सम्मेलन द्वारा विभिन्न अस्पतालों के साथ किए गए एमओयू के अंतर्गत सदस्यों को स्वास्थ्य सेवाओं में विशेष सुविधाएँ एवं रियायतें प्राप्त हो सकेंगी।

अंत में सम्मेलन के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री अनिल मलावत ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक के सुंदरपूर्ण ढ़ग से आयोजित होने पर धन्यवाद ज्ञापन दिया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष **राष्ट्रीय महामंत्री**